कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :शिविरा–माध्य/मा/अ–3/बोर्ड परीक्षा निर्देश/2018/07 दिनांक :28-02-2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा–प्रथम/द्वितीय

विषयः– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा–2018 की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु राजकीय सेवारत शिक्षकों को पाबन्द करने बाबत्।

प्रसंगः– बोर्ड का पत्रांक : गोप./पैनल/परीक्षा–2018/टी 16764 दिनांक 21.02.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि दिनांक 08 जनवरी 2018 को माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में वर्ष 2018 की परीक्षाओं के सुसंचालन हेतु आयोजित बैठक में हुए निर्णय के क्रम में उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांकः प.3 (7) शिक्षा–6/2018 दिनांक 31.01.2018 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में अग्रांकित विवरणानुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करें:–

1. समस्त परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन राजकीय सेवारत शिक्षक जो शाला दर्पण पर पंजीकृत हो, से करवाया जावे। बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित यथा प्रायोगिक परीक्षा,सैद्धान्तिक परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाएं अंकन, वीक्षण ड्यूटी व परीक्षाओं से जुड़े अन्य समस्त कार्य राजकीय कार्मिकों को अनिवार्य रूप से सम्पादित करने होंगे। किसी भी कार्मिक द्वारा आवंटित कार्य को अस्वीकार करने अथवा समय पर पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। कार्य आवंटन शाला दर्पण पर पंजीकृत विषय के आधार पर कम्प्यूटरीकृत रेण्डम पद्धति से किया जावे।
2. यदि कोई कार्मिक गम्भीर बीमारी, दिव्यांगता अथवा अन्य यथोचित ठोस कारण से लाचार/असमर्थ हों, तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गुणावगुण एवं तात्कालिक परिस्थिति के आधार पर निर्णय किया जावे।
3. जिले के सभी संग्रहण केन्द्रों के नियंत्रक अधिकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा–प्रथम रहेंगे एवं बंडल पहुँचने के तीन दिवस में अनिवार्यतः वितरण सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी परीक्षक के आकस्मिक स्थिति/विपदा आदि के कारण वह निर्धारित समयावधि में अंकन कार्य में असमर्थ हों एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी बताये गए कारणों से पूर्णतया संतुष्ट हों, तो उनके स्थान पर अन्य परीक्षक को कार्य आवंटित किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिखित आदेश किया जायेगा। बंडल प्राप्त नहीं करने अथवा जानबूझकर/टालमटोल द्वारा आदेशों की अवहेलना करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिले में शिक्षकों की कमी/अनुपलब्धता पर एक शिक्षक को दो बंडल आवंटित किये जा सकते हैं अथवा पास के जिले के शिक्षक को आवंटित कर सकेंगे।
4. प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य हेतु जिले के सभी संग्रहण केन्द्रों के नॉडल अधिकारी होंगे तथा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में प्रतिदिन संग्रहण केन्द्र का आवश्यक रूप से निरीक्षण व प्रतिदिन बंडल आवंटन संबंधी कार्य का समुचित निस्तारण करवायेंगे। इस हेतु प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित बण्डलों की संख्या के

आधार पर वाहन/टेलीफोन व्यय के रूपये 6/–प्रति बंडल एवं जिले के अन्य संग्रहण केन्द्रों पर ले जाने पर नियमानुसार यात्रा व्यय देय होगा।

5. समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जावे कि वे अपने अधीनस्थ शिक्षकों (जिन्हें बोर्ड द्वारा उत्तर–पुस्तिकाएं आवंटित की जा रही है) को 03 दिवस में उत्तर–पुस्तिकाओं का बंडल संग्रहण केन्द्र से प्राप्त करने हेतु पाबन्द करें। इस हेतु बोर्ड द्वारा शाला प्रधान को भी एस.एम.एस. से सूचना दी जावेगी।
6. कार्य सम्पादन हेतु बोर्ड को जो भी अतिरिक्त सूचनाएं वांछित हो, शाला दर्पण पर लिंक बनाकर संबंधित संस्था प्रधानों के माध्यम से प्राप्त कर तत्काल उपलब्ध करवाई जावे।

बोर्ड परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य को देखते हुए क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करावें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) बिभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रासंगिक पत्र के कम में सूचनार्थ।
3. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन कर दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर